दिव्यांगजनों को लेकर हरियाणा सरकार का एमेजॉन कंपनी से हुआ समझौता

चर्चा में क्यों?

2 अप्रैल, 2023 को हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि राज्य सरकार का एमेजॉन के साथ समझौता हुआ है, जिसके तहत प्रदेश के 10 हज़ार युवाओं को एमेजॉन कंपनी में रोज़गार दिया जाएगा। इनमें 1500 दिव्यांगों को भी नौकरी देनी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत आने वाले दिव्यांगजनों को रोज़गार प्रदान किया जाएगा।
- दिव्यांगों के लिये लघु सचिवालय में भूतल पर स्थापित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में 3 अप्रैल से हेल्प डेस्क शुरू किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये सभी दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य है।
- राज्य आयुक्त ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों की फीस को निःशुल्क कर दिया गया है।
- प्रदेश के 97 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में बैकलॉग भरा जाएगा, जिसके लिये चार सदस्यीय का कमेटी का गठन किया जा चुका है। एडेड कॉलेजों में जिस वर्ग के पद अधिक भरे गए हैं, उनमें कट लगाया जाएगा और दिव्यांगजनों को उनका हक दिलाया जाएगा। इसके साथ-साथ पदोन्नति में आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- विदित है कि एडेड कॉलेजों में अब तक अनुसूचित जाति वर्ग व दिव्यांगजनों को उनके रोस्टर अनुसार पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई। दिव्यांग की सीट पर सामान्य लोग नौकरी में लग गए हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-govt-signed-an-agreement-with-amazon-regarding-the-disabled